



क्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, राज.)

Email : pgcollegekarauli@gmail.com

Phone - 07464-250023



निविदा आमन्त्रण सूचना संख्या ...316..... दिनांक .३१.८.२०२०

निविदा की शर्तें

टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये। निविदादाताओं को अपने निविदा प्रस्ताव निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके प्रेषित करने चाहिए।

1. निविदादाता को निविदा शर्तों में बताये अनुसार तकनीकी प्रस्ताव एवं उससे सम्बन्धित समस्त दस्तावेज लिफाफा न. A में सीलबन्द करने हैं तथा लिफाफे पर "सामग्री/कार्य का नाम व तकनीकी प्रस्ताव" अंकित करना है तथा फर्म का स्पष्ट पता लिखना है। वित्तीय प्रस्ताव लिफाफा नं B में सीलबन्द करने हैं तथा लिफाफे पर "सामग्री/कार्य का नाम वित्तीय प्रस्ताव" अंकित करना है तथा फर्म का स्पष्ट पता लिखना है। फिर दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द करके प्रस्तुत करना होगा। जिस पर स्पष्ट रूप से "सामग्री/कार्य का नाम व निविदा प्रस्ताव" लिखा होना चाहिये तथा एजेन्सी का स्पष्ट पता लिखा होना चाहिये।
2. निविदादाता इस पर विशेष ध्यान देवे कि लिफाफा सील बन्द हो जिससे सम्बन्धित निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसका नाम पुरतकालय ऑटोमेशन कार्य सील बन्द लिफाफे के ऊपर लिखा हो साथ ही तिथि एवं समय का भी उल्लेख करें।
3. तकनीकी प्रस्ताव बाले लिफाफे नं. A में निविदा सूचना सम्बन्धी समस्त शर्तें निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर के संलग्न करने हैं, साथ ही तकनीकी प्रस्ताव में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करने हैं—
 1. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 200/- रसीद/डीडी।
 2. अमानत राशि का डीडी।
 3. आयकर धिनाग द्वारा जारी पेनकार्ड की प्रति।
 4. घोषणा पत्र 11 (एसआर 11)।
 5. एक व्यक्तिगत पहचान पत्र (आई.डी.) की प्रमाणित प्रति।
 6. फर्म का पजीयन प्रमाण—पत्र।
 7. फर्म का जी.एस.टी. आयकर चुकाता प्रमाण—पत्र 31 मार्च 2019 तक का हो।
 8. फर्म का पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ—पत्र।
 9. लाइब्रेरी सोफ्टेवर एवं पुरतकालय ऑटोमेशन का 10 महाविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव। (कार्य आदेश की प्रति)।
4. लिफाफा नं. B में केवल वित्तीय प्रस्ताव ही सीलबन्द करना है।
5. बोली प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रु. 2 प्रतिशत राशि 8000/- की डी.डी. "प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करौली" के नाम देय संलग्न करना होगा, अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा को खोलते समय सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव ही खोले जायेंगे और तकनीकी प्रस्ताव घोग्य पाये जाने पर ही एजेन्सी के वित्तीय प्रस्ताव खोले जा सकेंगे, जिसके लिए किसी प्रकार का तर्क मान्य नहीं होगा। तकनीकी कमी—पूर्ति

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
करौली कोड - 48005
Dept. Code - 015 DDO Code - HLL 266
Designation Code - P 766
Signature No. 7780

करने का मौका देने का सर्वोधिकार क्य समिति के विवेकाधीन रहेगा एवं क्य समिति द्वारा निर्धारित समय में पूर्ति न होने पर निविदा निरस्ता समझी जायेगी।

7. सशर्त एवं साधारण डाक/ईमेल इत्यादि से प्रेषित बोलिया/निविदा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
8. निविदा प्रस्ताव को सूचना में दिये गए निर्देशों के अनुसार उद्धित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करनी चाहिये।
9. सामग्री के लिए निर्माता/अधिकृत वितरक/डीलर ही विड प्रस्तुत करें। विनिर्माता/डीलर आदि को घोषणा पत्र एसआर प्रारूप 11 में संलग्न किया जाना आवश्यक है।
10. जी.एस.टी. पंजीयन एवं कर चुकता प्रमाण पत्र :- कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये एवं दिनांक 31.03.2019 तक जी.एस.टी. चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, उसके अभाव में निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। उसके अभाव में निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. निविदा प्रारूप स्थानी से भरा जायेगा या अकिता किया जायेगा। पेसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. निविदा में दरें स्पष्ट अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Error) एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में प्रस्तावित राशि को सही माना जायेगा।
14. एफ.ओ.आर., राजकीय महाविद्यालय, करौली होगा तथा स्थानीय कर, चुम्बीकर इत्यादि का भुगतान फर्म को ही करना होगा। प्रत्येक उपकरण की दर एक धूमिक की समस्त टेक्स/अन्य वार्ज जोड़ते हुए अकित करें।
15. मूल्य अधिमान— मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्य (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम 1995 के अनुसार दिया जाएगा।
16. अनुभोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, स्पेसिफिकेशन, राइज, मेक इत्यादि की साक्षात्तीर्पूर्वक जांच करली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन आदि के आशय के दारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करौली से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।
17. प्रदायकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारांश भाग को किसी अन्य फर्म को नहीं सौंपेगा या उसे उपभोक्ता (सबलेट) पर नहीं देगा।

18. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) रु.-

- विड प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा सार रूप में समझा जाएगा तथ सफल निविदादाता केता अधिकारी से कार्यादेश जारी होने की तिथि से उक्त अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
- परिनिर्धारित क्षति नियमानुसार क्य समिति द्वारा निर्धारित रहेगी।
- यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण रायिदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करौली को आवेदन करेगा। जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए नियेदन बाधा घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
करौली रोड - 48005
फॉकॉड कोड - 015
फॉकॉड कोड - 766
फॉकॉड कोड - 766
फॉकॉड कोड - 766

- यदि माल की सम्माई करने में उत्पन्न हुई या निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिणिर्धारित क्षतियों से सहित या रहित की जा सकेगी।
19. उक्त कार्य/सामग्री का क्य अनुमानित है। अनुकंप अवधि के दौरान क्य सामग्री की कुल क्य अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। जो क्य राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण में होगी। क्य समिति द्वारा सामग्री संख्या बढ़ाई/घटाई जा सकती है।
20. अमानत/बयाना राशि (Eastern Money)
- (क) निविदा प्रस्ताव के साथ नियमानुसार निविदा रूचना में वर्णित राशि ((2 प्रतिशत) बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ख) बयाना राशि के प्रतिदाय :- असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र ढी. डी. लौटाया जायेगा।
- (ग) बयाना राशि से आशिक छूट :- उन फर्मों को जो कि निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदाएँ आमंत्रित करने की सूचना में दिखाई गई निविदा के अनुमानित मूल्य के नियमानुसार छूट की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।
- (घ) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपकर्मों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- (इ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति राशि निषेप को नई निविदाओं को लिए बयाना राशि/प्रतिभूति राशि के प्रति सामायोजित नहीं किया जाएगा।
21. बयाना राशि का सम्पर्क :- बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में सम्पर्क (जब्ता) की लिया जायेगा-
- जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
 - जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिष्ठ किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
 - जब निविदादाता प्रदायगी के आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।
 - जब वह निहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय आरम्भ करने में असफल रहता है।
22. भूगतान की प्रक्रिया :-
- महाविद्यालय द्वारा कोई अद्यम भुगतान नहीं किया जावेगा।
 - समग्री आपूर्ति निविदा शर्तों के अनुरूप क्य/प्रदायगी आदेश अनुसार करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।
 - समस्त प्रकार के प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा ही वहन किये जाएंगे।
 - विवादारप्य रुप से उल्लेखित न किया गया हो।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं :- यदि निविदादाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी विड को संक्षिप्त कार्यवाही वर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि महाविद्यालय द्वारा जारी किये गए विड स्वीकृति पत्र में विरोध रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
24. महाविद्यालय किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करे बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है उन सब के लिए या किसी

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
कागजी कोड - 4805
फोन कोड - 015
फैक्टरी कोड - 766
फैक्टरी कोड - 766

- एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एम फर्म/राष्ट्रायर से अधिक को स्टोर की मदों को वितरित करने के अधिकार क्य समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
25. निविदा करार निष्पादित करते समय निविदादाता यदि भागीदार फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप ढीड) की अनुप्रमाणित प्रति, पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष एक मात्र स्थानित मामले में आवास एवं कार्यालय का पता व टेलीफोन नम्बर तथा कम्पनी के मामले में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करेगा।
 26. सामान्यतः कार्य आदेश किसी भी एक फर्म को दिया जायेगा, किन्तु परिस्थिति अनुसार इस कार्य को एक से अधिक फर्मों को आवृत्ति किया जा सकता है।
 27. निर्धारित निविदा प्रपत्र के अलावा अन्य प्रपत्र में दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
 28. निर्धारित समय पश्चात (Delayed) प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निविदा बन्द लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में नियत दिनांक व समय पर पहुँच जानी चाहिये। इसके बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। ई-मेल आदि द्वारा निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएँगी। डांक द्वारा देरी से प्राप्त निविदा के लिए किसी भी प्रकार का तर्क, आक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः व्यवित्त जगा कराने की सलाह दी जाती है।
 29. मूल निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने तथा निविदा खोलने की दिनांक व समय में वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय की क्य समिति के पास सुरक्षित है।
 30. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की राष्ट्राई महाविद्यालय की सन्तुष्टि अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद महाविद्यालय किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखत करेगा।
 31. उपर्युक्त शर्तों के अलावा जहां आवश्यक हो राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 के समस्त प्रावधान/शर्तें लागू होगी।
 32. सभी विद्यार्थी का न्याय क्षेत्र कर्तौली न्यायालय होगा।
 33. ऑटोमेशन का कार्य महाविद्यालय की लाइब्रेरी में ही करना होगा।
 34. सभी किताबों की डाटा एन्ट्री तीन भाषाओं में करनी होगी। (Hindi/English/Unicode)
 35. सभी किताबों पर बारकोड स्टीकर लगाने होंगे।
 36. Library Software पहले से कम से कम 10 राजकीय महाविद्यालयों में लगा होना चाहिये एवं कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिये। बुक पब्लिशिंग के कार्य का अनुभव भी होना चाहिये।
 37. Library Software का डेटा केवल हमारे ही कम्प्यूटर में Store/Save होना चाहिये। Software एक से अधिक कम्प्यूटरों पर एक साथ कार्य करना चाहिये।
 38. Software रखय की कम्पनी द्वारा बनाया हुआ ही हो, जिससे भविष्य में कोई भी Modification करवा सकें। नई रिपोर्ट जुड़ा सकें या हमारे हिताव से बदलवा सकें।
 39. किसी भी विवाद व निर्वाचन का अधिकार गठित समस्त कमेटी को होगा।
 40. उक्त कार्य डेढ़ माह के अन्दर करना होगा। महाविद्यालय के कर्मचारी को Software का प्रशिक्षण देना होगा।

41. Specification Of Library Management Software

1. Require User Friendly Desktop Application Software Only.
2. Book Entry / Book Issue/ Book Return / Lost Memo Entry / Rejection Entry / Periodical Entry/ Visitor Register Entry.
3. Software Work in Multi Language: (English/ Hindi/ Urdu etc. and Unicode Also.)

राजकीय प्रशासनिक
कानूनी नियम - 4805
कानूनी नियम - 015
Depn. Code - K.L. 766
Depn. Code - P 766

4. Software Should Auto Convert (Book Details) English to Hindi/ Urdu/ Unicode etc.
5. We Can Export Data in XLS / Word / PDF Format etc
6. Searching Any Field / Any Location of Book Show Full Details of Book with Rack No/ Subject/ Author / Publisher/ Price / Currency/ Bill Details / Source
7. Bar Code Integration Working With Barcode Scanner.
8. No Dues Letter Generation/Library Card Printing SMS Integrated
9. Data backup/ Visitor Register/ Book Enquiry with All Fields.
10. Report. Rack-Subject- Currency Wise / Book Bank / RUSA / YDC / Sc St Girls/Gifted/ Write Off/Remedial / Category Wise etc
11. Accession Register Entry Linked with Software Data Entry in PDF Format.
12. User Login with Password + Student Login.
13. Software should be C# Language With Crystal Report + MSSQL Integrated.
14. Database Should Be Store In Our Local Computer Only.

Note: Final Selection of Software Will After Discussion /Viewing of Software.

नोट :- उपर्युक्त शर्तें औसत परिस्थितियों के आधार पर आंकित की गई हैं। विभागीय क्य समिति/विभाग स्थानीय परिस्थितियों/विभाग की आवश्यकताओं के आधार पर अन्य शर्तें जो उद्धित समझे समिलित कर सकते हैं। सरोथित निविदा तथा निविदा की शर्तों का निविदा जारी करने से पूर्व आवश्यक रूप से विभागीय क्य समिति से अनुमोदन लिया जाएगा। सभी निविदाएँ उनके सिवा जो उन पर अभिलिखित कारणों से अस्वीकृत की गई हैं, सारणीबद्ध और सदीकीत की जायेगी और मदावर दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा।

मैं/हम कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, करौली द्वारा जारी की गई निविदा संख्या
 दिनांक में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई समस्त शर्तों से सहमत होना स्वीकारते हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणितकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विभिन्न/प्रक्रियात्मक/गोलिक रूप से सही हैं। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहेंगा/रहेंगे एवं इराकं लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी निविदा/अनुबन्ध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

मैं/हम
 विभाग
 राजकीय महाविद्यालय
 करौली कोड - 4205
 कोड - 91-5212-766
 Optin Code - 91-5212-766
 VDO Code - 91-5212-7780
 Designation - 1
 Date - 11/01/2018

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

दिनांक